

5-1-2022

वादिया मय वकील उपास्थित
वकील प्र. 6 उपास्थित

प्रतिवदीगण अनुपास्थित । वादिया द्वारा

जरीये वकील प्राथमा - पत्र बाबत वाद

विद्दी करने हेतु पेश कर निवेदन

किया किया कि वह वाद को आगे

नही चलाना चाहते हैं। अतः वादिया

का प्राथमा - पत्र स्वीकार कर वाद - वकी

विरुद्ध प्रतिवदीगण अन्तर्गत धारा 88,

188, 89, 92 A RTA विरुद्ध प्रतिवारी

ठग जरीये विद्दी शहारी ज किया जाता


है, पत्रावली फेरल शूमार डेकर

नम्बर से कम है, वाद तलमील जाता

दाखिल दफ्तर है।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) राणी



उपनिवेशावली

Prayal

Prayal
(प्रतिवारी सं. 6)
अधिवक्ता